झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–281 / 2019

झारखण्ड राज्य, कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिंचाई प्रमण्डल संख्या–1, बनहैत, डाकघर एवं थाना–बनहैत, जिला–साहेबगंज ..... याचिकाकर्त्ता

बनाम

मेसर्स आर0एम0 सिन्हा एंड कंपनी, जिसका कार्यालय डब्ल्यू 2007, न्यू मार्केट (न्यू कॉम्प्लेक्स) 19, नेली सेनगुप्ता सारिनी, कोलकाता–700087 में है अपने पार्टनर सुजीत कुमार सिन्हा, पे0 स्वर्गीय रंजीत मोहन सिन्हा, सा0 38 / सी, कालीघाट रोड, डाकघर एवं थाना–कालीघाट, कोलकाता–700084 के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया।

..... विपक्षी पार्टी

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी**

याचिकाकर्त्ता के लिए : श्री राहुल गुप्ता, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री विभोर मयंक, अधिवक्ता

05 / 08.11.2019 आई0ए0 सं0–6722 / 2019

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल गुप्ता न्यायालय में मौजूद हैं।

2. उन्होनें कहा कि वर्तमान सिविल विविध याचिका दायर करने में 92 दिनों की देरी हुई है और इस इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन के पैरा 3 से 4 में देरी के कारण बताया गया है।

3. विपरीत पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री विभोर मयंक को बिलम्ब को माफ करने के लिए प्रार्थना पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

4. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और दिखाए गए कारण से संतुष्ट होने के बाद, सी0एम0पी0 दाखिल करने में हुए बिलम्ब को माफ किया जाता है।

5. तद्नुसार, आई0ए0 सं0–6722/2019 को एतद्द्वारा अनुमति दी गई है।

<u>सी0एम0पी0 सं0–281/2019</u>

6. पार्टियों की सहमति से, यह मामला मेरिट के आधार पर उठाया जाता है।

7. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि यह सी0एम0पी0, सिविल विविध याचिका संख्या 158/2018 की अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है, जिसे 14.12.2018 के आदेश द्वारा गैर–अभियोजन के वजह से खारिज कर दिया गया है। इस याचिका के पैरा 4 का हवाला देते हुए विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि दिनांक 14.12.2018 को गलती से, याचिकाकर्ता काउज–लिस्ट को चिन्हित नहीं कर सका और तदनुसार याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण अंततः पूर्वोक्त मामले को खारिज कर दिया गया।

8. विपरीत पक्ष की ओर से पेश वकील पुनःस्थापन की प्रार्थना का विरोध करते हैं और वह यह निवेदन करते हैं कि राज्य की ओर से तत्परता की कमी है। वह आगे कहता है कि यदि यह न्यायालय सी0एम0पी0 सं0–158/2018 को पुनःस्थापन करने को उचित समझता है, तो कुछ कॉस्ट लगाई जा सकती है।

9. इस मामले के पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों तथा पार्टियों के सबमिशन पर विचार करते हुए, सी0एम0पी0 सं0–281/2019 की अनुमति है और सिविल विविध याचिका संख्या 158/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है, बशर्ते कि विपरीत पार्टी को 5000/– रू0 कॉस्ट का भुगतान किया जाय। सी0एम0पी0 सं0–158/2018 में रजिस्ट्री में अपीलकर्ता द्वारा 5000/– रू0 के भुगतान की रसीद दायर की जाएगी और रसीद की ऐसी जमा राशि करने पर, पुनःस्थापित हो जाएगा। कार्यालय सी0एम0पी0 सं0–158/2018 को 22.11.2019 को उचित शीर्षक के अन्तर्गत पीठ के

समक्ष उपस्थापित करने का निर्देश दिया जाता है यदि भुगतान की रसीद वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा 19.11.2019 तक जमा की जाती है।

10. वर्तमान सी0एम0पी0 को एतद्द्वारा अनुमति दी गई है।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)